रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2014/कार्तिक 5, 1936
No. 554] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014/KARTIKA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 749 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।"

[फा.सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1130(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014

G.S.R. 749(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days."

[F. No. A-11014/6/2011-AT]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 1130(E), dated 3rd October, 1986.